सरयू राय
मंत्री

झारखण्ड सरकार

रघुवर दास
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

कार्यकलाप

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

कार्यकलाप

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अन्तर्गत राज्य के निर्धन लोगों को ससमय एवं अनुदानित दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति किया जाना है। इसके अतिरिक्त राज्य के लोगों को किरासन तेल की आपूर्ति एवं जन वितरण प्रणाली का सुचारू ढंग से संचालन भी विभाग का दायित्व है।

राज्य के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उनकी शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई भी विभाग द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

- अक्टूबर 2015 से राज्य भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है।
- इसके तहत वर्तमान में कुल 57 लाख 21 हजार 198 परिवारों को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल/गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिनियम के अन्तर्गत पात्र गृहस्थ योजना एवं अन्त्योदय अन्न योजना के तहत प्रतिमाह 1.44 लाख मे0टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

- खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित, सामान्य कोटि के परिवारों हेतु भी श्वेत रंग के राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है। अभी तक कुल 5 लाख 19 हजार 193 श्वेत रंग के राशन कार्ड का वितरण हो चुका है तथा शेष का निर्माण एवं वितरण जारी है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अबतक कुल 10,38,714 राशन कार्ड रद्द (डिलिट) किये जा चुके हैं तथा 9,31,079 नये राशन कार्ड जोड़े गये हैं।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

- राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गोदामों की भण्डारण क्षमता बढ़ाई गयी है। वर्तमान में भण्डारण क्षमता 1.23 लाख टन का सृजन किया जा चुका है जबकि 1.18 लाख मे0टन के अतिरिक्त क्षमता का सृजन प्रक्रियाधीन है।
- झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों के प्रबंधन हेतु संशोधित प्रणाली के विकास के लिए NCDEX e Market Ltd (NeML) की सेवाएँ Nomination के आधार पर प्राप्त कर एवं NeML द्वारा खुली निविदा के माध्यम से Stock Monitoring Agency व Stock Audit Agency के चयन की कार्रवाई की जा रही है ताकि राज्य खाद्य निगम के गोदामों को सुदृढ़ किया जा सके।

Digital Weighing Machine का सहायक गोदाम प्रबंधक के बीच वितरण

☞ सम्पूर्ण आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण कर लिया गया है एवं इसी क्रम में सभी गोदामों को इंटरनेटयुक्त टैबलेट उपलब्ध कराया गया है तथा डिजिटल वेईंग मशीन अधिष्ठापित की गयी है।

जन वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

☞ राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों के डाटा अंकीकृत कर उनमें आधार संख्या की सीडिंग के पश्चात् नये राशन कार्ड मुद्रित कर लाभुकों के बीच वितरित कराये गये हैं। उल्लेखनीय है कि आधार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं किरासन तेल की प्राप्ति हेतु आधार सिडिंग अनिवार्य है।

☞ सभी जिला कार्यालय एवं प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में कम्प्यूटर अधिष्ठापित किया गया है। सप्लाई चेन प्रबंधन के अन्तर्गत खाद्यान्न का ऑनलाईन आवंटन, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम द्वारा कम्प्यूटरीकृत भण्डार निर्गमन आदेश निर्गत किया जाना, जन वितरण प्रणाली दुकानदारों एवं लाभुकों को खाद्यान्न आने की सूचना SMS द्वारा प्राप्त होना आदि प्रमुख हैं।

☞ जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं सुदृढ़ अनुश्रवण हेतु खाद्यान्न का वितरण Bio-Metric Handheld Device के माध्यम से किया जा रहा है तथा सम्पूर्ण राज्य में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। सभी ePoS मशीने कैशलेस पद्धति पर भी कार्य करने योग्य हैं एवं सभी दुकानों को Mini Bank के रूप में कार्य करने पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

☞ जिन लाभुकों का Biometric Authentication किसी कारण से सफल नहीं हो पाता है, उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर OTP के जरिये भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

☞ जहाँ सिग्नल मिलने में कठिनाई होती है वहाँ offline पद्धति से राशन वितरण किया जा रहा है।

☞ राज्य के राँची जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र, धनबाद एवं जमशेदपुर जिले का अनुभाजन क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली दुकानों में भी इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन लगायी जा रही है ताकि लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो सके।

पी०टी०जी० डाकिया योजना

☞ झारखण्ड एक कल्याणकारी राज्य है। राज्य की भौगोलिक बनावट तथा स्थलाकृति को देखते हुए इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राज्य का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी एवं दुर्गम है। इन पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में मुख्यतः आदिम जनजाति निवास करते हैं। राज्य के आदिम जनजाति परिवारों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। अतः खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रतिमाह लम्बी दुरी तय करनी पड़ती है। इन्हीं कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी पात्र आदिम जनजाति परिवारों को उनके निवास स्थान तक 35 किलोग्राम चावल पैकेट के रूप में मुफ्त में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माह अप्रैल 2017 से विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (PVTG डाकिया योजना) लागू की गयी।

☞ इस योजना का शुभारांभ गोड्डा के सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड, साहेबगंज के बरहेट प्रखण्ड तथा पलामू के चैनपुर प्रखण्ड में एक साथ किया गया। त्तपश्चात् इसे राज्य के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 68731 आदिम जनजाति परिवार आच्छादित हैं जिन्हें प्रतिमाह उनके निवास स्थान तक खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है।

☞ इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की पैकेजिंग का कार्य ग्रामीण विकास विभाग के झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाईटी (Jharkhand State Livelihood Promotion Society) के सखी मंडलों द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु

प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के एक या एक से अधिक गोदामों का चयन किया गया है जहाँ खाद्यान्न की पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा है।

- इस योजना के अंतर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के चिन्हित गोदाम से आदिम जनजाति के निवास स्थल तक खाद्यान्न का पैकेट पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के नियंत्रण में पहुँचाया जा रहा है। खाद्यान्न के पैकेट को आदिम जन जातियों के निवास स्थान तक परिवहन हेतु जिला प्रशासन द्वारा संबंधित जिले में आवयकतानुसार एक या एक से अधिक पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड पदाधिकारी को नामित करते हुए उन्हें एक डम्मी जन वितरण प्रणाली के रूप में भुमिका अदा करने का निदेश दिया गया है। साथ ही संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के नाम से एक e-PoS मशीन दिया गया है जिसके माध्यम से यथासम्भव बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन के आधार पर खाद्यान्न वितरित की जा रही है।

- योजना को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार यथासंभव प्रयासरत है। इस क्रम में संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को व्यापक अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया है। साथ ही जिन जिलों में आदिम जनजाति परिवारों की संख्या अधिक है उन जिलों में खाद्यान्न वितरण में पंचायत स्वयंसेवकों की सहायता लिये जाने का निदेश सभी उपायुक्तों को दिया गया है। साथ ही योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

धान अधिप्राप्ति

- धान अधिप्राप्ति योजना को नियमबद्ध तरीके से संचालित करने हेतु "झारखंड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) आदेश, 2016" लागू किया गया है।
- योजना को सफल एवं पारदर्शी बनाने हेतु इसे पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत किसानों से आवेदन प्राप्त कर राजस्व पदाधिकारियों से सत्यापनोपरान्त पंजीकरण कराया जा रहा है। तत्पश्चात् उन्हें SMS एवं दूरभाष के माध्यम से धान विक्रय से संबंधित सूचना उपलब्ध करायी जाती है।
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 1470 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त रूपये 130/– प्रति क्विंटल का बोनस राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
- किसानों को धान के मूल्य का भुगतान RTGS अथवा NEFT के माध्यम से किया जा रहा है। इससे विचौलियागिरी पर अंकुश लगा है।
- KMS – 2016–17 का लक्ष्य – 4 लाख एमटी
  लाभान्वित किसानों की संख्या – 39,458
  अधिप्राप्त धान की मात्रा – 2.07 लाख एमटी

किरासन तेल वितरण

- राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित परिवारों के अतिरिक्त अनाच्छादित परिवारों को भी किरासन तेल वितरण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में प्रति हाउसहोल्ड 02 लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 लीटर प्रति हाउसहोल्ड जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है।

- राज्य के 11 जिलों में यथा, हजारीबाग, चतरा, खूँटी, जामताड़ा, गिरिडीह, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, राँची, साहेबगंज एवं सरायकेला–खरसावाँ में केरोसिन तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर स्कीम (डीबीटी) लागू की गयी थी। शेष जिलों में भी 1 जुलाई 2017 से डी.बी.टी. लागू कर दिया गया है।
- राज्य के सभी जिलों में लाभुकों को मिलनेवाली केरोसिन सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जा रही है।

मुख्यमंत्री दाल–भात योजना

- विभाग द्वारा राज्य में 375 दाल–भात केन्द्रों का संचालन किया जा रहा हैं, जिनमें 05 रूपये में एक समय का भोजन उपलब्ध है।
- उपर्युक्त दाल–भात केन्द्रों में 13 केन्द्र रात्रि दाल–भात केन्द्र के रूप में भी परिवर्तित कर दिये गये है।
- दाल–भात केन्द्रों को "मुख्यमंत्री कैण्टीन" में परिणत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

पारदर्शी क्रय प्रणाली

- राज्य में पहली बार NCDEX E-Market Ltd. के माध्यम से रिवर्स ऑक्शन प्रणाली के तहत निविदा कराई गयी है जो कि पूर्णतः पारदर्शी एवं कम्प्यूटरीकृत है। इस प्रणाली के तहत विभाग द्वारा क्रय किये जाने वाले दो प्रमुख सामग्रियाँ नमक एवं चीनी है।

जन वितरण प्रणाली दुकान

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकानों की बूथवार और वार्डवार पुनर्गठन किया गया है ताकि दुकानवार लाभुकों की संख्या में समानता रहे।
- जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु उनके कमीशन दर में बढ़ोतरी की गयी है। पूर्व में उन्हें 45 रूपया प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था, जिसे बढ़ाकर 80 रूपये प्रति क्विंटल तथा पुनः वृद्धि कर 100 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। किरासन तेल के कमीशन को भी 10 पैसे से बढ़ाकर 1 रूपया प्रति लीटर किया गया है।
- राज्य में जन वितरण प्रणाली की दुकानों की नई अनुज्ञप्तियाँ मात्र बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ही दी जाती हैं। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को भी अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। आश्रितों की श्रेणी में आश्रित विधवा पुत्री एवं परित्यक्ता आश्रित पुत्री को भी शामिल किया गया है।
- अप्रैल 2017 से ठेला के माध्यम से किरासन तेल का वितरण बंद करा दिया गया है तथा उनकी अनुज्ञप्ति को जन वितरण प्रणाली दुकानदार की अनुज्ञप्ति के रूप में परिवर्तित करने का निर्देश सभी जिलों को दिया जा चुका है।

मानव संसाधन

- ☞ खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को क्रियाशील बनाते हुए यहाँ निदेशक, अपर निदेशक एवं अन्य कर्मचारियों का पदस्थापन किया गया है।
- ☞ विभाग में पणन पदाधिकारी तथा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी की कमी दूर करने हेतु कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है।
- ☞ राज्य गठन के पश्चात् पहलीबार झारखण्ड आपूर्ति सेवा के 53 प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को पणन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी गयी है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- ☞ राज्य के गरीब परिवारों की गृहणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परंपरागत ईंधनों तथा लकड़ी, कोयला एवं गोबर उत्पादों का रसोईघर में ईंधन के रूप में उपयोग निरापद नहीं माना गया है। रसोईघर में अत्यंत अस्वास्थ्यकर वातावरण में महिलाओं द्वारा भोजन पकाने से महिलाओं के साथ–साथ परिवार के बच्चों को भी अनेक श्वांसजनित बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा रहता है। यह आधुनिक स्वास्थ्य माप–दण्डों के अनुकूल नहीं है। अतः आवश्यक है कि महिलाओं की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाय।

- ☞ वैसे बी.पी.एल. परिवार जो SECC 2011 के Database में विनिर्दिष्ट किसी एक Deprivation की श्रेणी में आते हैं, उन परिवारों को धुआँरहित स्वच्छ ईंधन देने की प्रक्रिया के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत मुफ्त घरेलू गैस का संयोग दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वैसे लाभुक परिवार जिनके पास पूर्व से कोई गैस संयोग नहीं है, उन परिवारों के एक महिला के नाम से गैस संयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। एक ही परिवार के दो सदस्य इस योजना के लाभुक नहीं होंगे। लाभुकों के चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है।
- ☞ बी.पी.एल. परिवार की महिला सदस्य जिनके पास पूर्व से कोई एल.पी.जी. संयोग नहीं है वह नये एल.पी.जी. संयोग के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करती हैं। आवेदन पत्र के साथ उस महिला का पता, जनधन/बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या/आधार इनरॉलमेंट संख्या उपलब्ध कराना होता है।
- ☞ एल.पी.जी. के क्षेत्रीय पदाधिकारी के द्वारा आवेदन का मिलान SECC 2011 के Database से कर बी.पी.एल. का सत्यापन कर ऑयल कंपनी को दिया जाता है तथा ऑयल कंपनी इस आवेदन का डी–डुप्लीकेशन कर नया संयोग मुफ्त में जारी करती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा सिलिंडर डिपोजिट, प्रेसर रेगुलटर, हॉसपाईप के मूल्य का वहन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा गैस स्टोव का मूल्य एवं प्रथम रिफिल का मूल्य का वहन किया जा रहा है। इस प्रकार झारखण्ड देश का एक मात्र राज्य है जहाँ लाभुकों को शतप्रतिशत निःशुल्क संयोग गैस स्टोव एवं प्रथम रिफिल सिलिंडर सहित प्रदान किया जा रहा है।
- ☞ ऑयल कंपनी द्वारा गैस संयोजन के पश्चात् लाभुकों से संबंधित सूचनाएँ एवं विपत्र खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को उपलब्ध करायी जाती है। निदेशालय तेल कंपनियों को गैस स्टोब का मूल्य एवं प्रथम रिफिल का मूल्य,

जो कि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, वह उपलब्ध कराता है।

- ☞ योजना का शुभारंभ इस राज्य में अक्टूबर, 2016 में किया गया है। इस योजना के तहत 2018–19 तक राज्य के SECC 2011 की जनगणना में शामिल 28.5 लाख परिवारों को मुफ्त एल0पी0जी0 गैस संयोजन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में अभी तक 6,98,557 परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

- ☞ इस प्रकार इस योजना के द्वारा झारखण्ड राज्य के गरीब परिवारों को धुआँरहित स्वच्छ ईंधन वाला मुफ्त एल.पी.जी. गैस संयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भी एल.पी.जी. गैस संयोग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि उक्त स्थानों को भी स्वच्छ वातावरण में राज्य के नौनिहालों को भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

माप–तौल

- ☞ विभागों के पुनर्गठन के फलस्वरूप माप–तौल इकाई विभाग में हस्तांतरित हुआ है।
- ☞ माप–तौल इकाई का कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसके अन्तर्गत उपयोगकर्त्ता के द्वारा उपयोग में लाये जा रहे माप–तौल उपकरणों के सत्यापन हेतु सत्यापन शुल्क आदि का ऑनलाईन संग्रहण किया जायेगा, साथ ही सत्यापन प्रमाण–पत्र भी ऑनलाईन ही निर्गत किया जायेगा।

डबल फोर्टिफाइड नमक वितरण

- ☞ राज्य की लगभग 70 प्रतिशत् बी.पी.एल. महिलाओं मे रक्त अल्पता (एनीमिया) की समस्या के आलोक में अन्त्योदय सहित सभी पात्र गृहस्थ परिवारों को एक किलोग्राम प्रतिमाह डबल फोर्टिफाइड नमक जो आयोडीन के साथ आयरनयुक्त है, एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जाता था।
- ☞ उक्त नमक के कारण दाल, सब्जी इत्यादि के काला हो जाने की शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों पर विचारोपरान्त विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि DFS नमक (इनकेप्सुलेटेड फेरस फ्युमरेट एवं आयोडीन युक्त नमक) का वितरण वित्तीय वर्ष 2017–18 के द्वितीय तिमाही से किया जाय।

चीनी वितरण योजना

- ☞ केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरूप राज्य के अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 01 किलोग्राम चीनी वितरित करने का निर्णय लिया गया है।
- ☞ इस हेतु प्रति किलोग्राम चीनी के वितरण पर केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 18.50 प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।
- ☞ वित्तीय वर्ष 2017–2018 की द्वितीय तिमाही हेतु चीनी आपुर्ति के लिए रिवर्स ऑक्शन प्रक्रियाधीन है।

सतर्कता, निगरानी एवं शिकायत निवारण

- संकल्प निर्गत कर पंचायती राज संस्थाओं को जन वितरण प्रणाली की निगरानी एवं पर्यवेक्षण का अधिकार हस्तांतरित किया गया है।
- जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, उचित कार्यान्वयन एवं जबावदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में प्रखण्ड स्तरीय नोडल पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय जिला शिकायत निवारण पदाभिहित किये गये हैं। राज्य स्तरीय राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जा चुका है।

लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (PGMS)

- झारखण्ड के सभी जिलों के उपभोक्ताओं हेतु लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली {Public Grievance Management System (PGMS)} प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता अपनी समस्याओं के संबंध में कभी भी आसानी से घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके अतिरिक्त दर्ज करायी गई शिकायतों को ट्रैक कर संबंधित प्रतिक्रियाएँ Text, Audio या Image के माध्यम से भी दे सकते हैं। इसके लिए टॉलफ्री नम्बर 18002125512 है। इसके अलावा 8969583111 व 0651–7122723 पर भी किसी भी कार्यदिवस की कार्यावधि में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

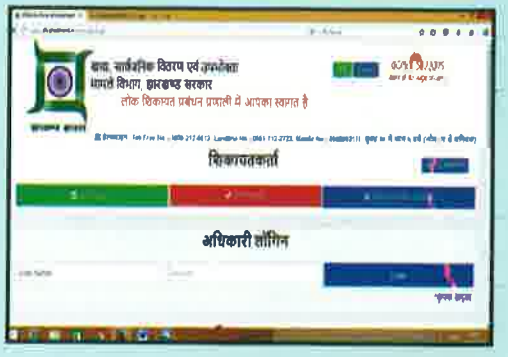

उपभोक्ता संरक्षण

- राज्य के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 2016 को स्वीकृति दी गयी। यह 08 जनवरी 2016 से प्रभावी हो गयी है।
- उपभोक्ता संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु झारखण्ड उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के जरिये उपभोक्ता जागरूकता के कार्यक्रम चलाने हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है।
- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम को सुदृढ़ किया गया है।
- विभिन्न स्तरों पर कार्यशाला का आयोजन, आउट बांड डायलिंग के तहत व्याइस मैसेज, विद्यालयों में भाषण प्रतियोगिता, विद्यालयों में निदेशिका आदि का वितरण कर उपभोक्ताओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।
- उपभोक्ता मामलों के संबंध में परामर्श हेतु राज्य कन्ज्यूमर हेल्पलाईन कार्यरत है। इसका टॉलफ्री नम्बर 1800–3456–598 है।

झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017

- राज्य में जन वितरण प्रणाली का विनियमन हाल तक बिहार सरकार द्वारा गठित पी.डी.एस. कन्ट्रोल ऑर्डर द्वारा किया जाता था। विभाग द्वारा अब राज्यान्तर्गत जन वितरण प्रणाली के विनियमन के लिए अपना "झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017" गठित कर लिया गया है।

मूल्य नियंत्रण

☞ खाद्य पदार्थों की मूल्य में अचानक वृद्धि पर नियंत्रण हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन कर दिया गया है। इससे कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। किसी खास खाद्य वस्तु के मुल्य में अचानक वृद्धि दृष्टिगत होने पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करके इस पर नियंत्रण की कार्रवाई की जाती है।

सिटिजन चार्टर

☞ सिटीजन चार्टर (नागरिक अधिकार पत्र) बनाने वाला झारखण्ड का पहला विभाग बना खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुरूप इसमें संशोधन प्रक्रियाधीन है।

धन्यवाद

Vikash Enterprises # 8651561194